



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102020-222817
CG-DL-E-29102020-222817

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3417]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 28, 2020/ कार्तिक 06, 1942

No. 3417]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 28, 2020/ KARTIKA 06, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3871(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि आंध्र प्रदेश राज्य के कडपा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन हेच ६७ के कि.मी. ५६२/० से कि.मी ५६४/०, तक के भूखण्ड (हुब्ली - कृष्णापटनम सेक्शन) का निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् प्रभागीय राजस्वा अधिकारी, जम्मालामडुगु कडपा जिले को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा। और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग - ६७ के हुबली - कृष्णपट्टनम सड़क के की मी ५६३ / २ (रेलवे की मी १०८ / १८६) पर जम्मालामडुगु - प्रोद्दतुर रेलवे खंड एल सी स १७ के स्थान पर ४ लेन आरओबी के निर्माण के लिए ढांचों सहित अथवा ढांचों के बिना आदिग्रहीत की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण
भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश		जिले का नाम: कडपा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: प्रोद्दतुर					
गांव का नाम: बोल्लावरम					
1	337 / 1B1B	निजी(पट्टा)	गवर्नमेंट ड्राई	0.0900000(एकर)	0.0364225
2	337 / 2C1B	निजी(पट्टा)	गवर्नमेंट ड्राई	0.2200000(एकर)	0.0890328
3	338 A/ 1A2	निजी(पट्टा)	इनाम ड्राई	0.0600000(एकर)	0.0242817
4	338A / 2A2	निजी(पट्टा)	इनाम ड्राई	0.2200000(एकर)	0.0890328
5	340 / 1A2	निजी(पट्टा)	गवर्नमेंट पोर्बोकु	0.1300000(एकर)	0.0526103
गांव का नाम: पेद्दासेट्टीपल्ली					
1	81 A / 2A2	निजी(पट्टा (इनाम))	इनाम ड्राई	0.2900000(एकर)	0.1173614
2	81 A / 3A2	निजी(पत्ता इनाम)	इनाम ड्राई	0.1500000(एकर)	0.0607042
3	82 / 1B	निजी(पट्टा)	इनाम ड्राई	0.0600000(एकर)	0.0242817
कुल				1.2200	0.4937

[फा. सं. RW/NH-12014/AP(13)/16-S&R(B)pt/3A2]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2020

S.O. 3871(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening / four laning etc.) , maintenance , management and operation of National Highway No. 67 in the stretch of land from Km 562/0 to Km 564/0 (Hubli - Krishnapatnam Section) in the district of Kadapa in the state of Andhra Pradesh , hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Revenue Divisional Officer , Jammalamadugu, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structure construction of Four lane ROB at Km 563/2 (Railway Km 108/186) of Hubli - Krishnapatnam road NH-67 in lieu of L.C No. 17 of Jammalamadugu - Proddatur Railway section in the State of Andhra Pradesh

State: ANDHRA PRADESH		District: Kadapa			
S.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Proddatur					
Village: Bollavaram					
1	337 / 1B1B	Private(PATTA)	GOVERNMENT DRY	0.0900000(Acre)	0.0364225
2	337 / 2C1B	Private(PATTA)	GOVERNMENT DRY	0.2200000(Acre)	0.0890328
3	338 A/ 1A2	Private(PATTA)	INNAM DRY	0.0600000(Acre)	0.0242817
4	338A / 2A2	Private(PATTA)	INNAM DRY	0.2200000(Acre)	0.0890328
5	340 / 1A2	Private(PATTA)	GOVERNMENT PORAMBOKU	0.1300000(Acre)	0.0526103
Village: Peddasettipalli					
1	81 A / 2A2	Private(PATTA (INAM))	INNAM DRY	0.2900000(Acre)	0.1173614
2	81 A / 3A2	Private(PATTA	INNAM DRY	0.1500000(Acre)	0.0607042

		(INAM))			
3	82 / 1B	Private(PATTA)	INNAM DRY	0.0600000(Acre)	0.0242817
Total				1.2200	0.4937

[F. No. RW/NH-12014/AP(13)/16-S&R(B)pt/3A2]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.